रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 211] नई दिल्ली, शनिवार, जून 21, 1969/ज्यैष्ठ 31, 1891
No. 211] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 21, 1969/JYAISTHA 31, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES

ORDER (COPYRIGHT)

New Delhi, the 21st June 1969

S.O. 2445.—In exercise of the powers conferred by Section 40 of the Copyright Act, 1957 (14 of 1957), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the International Copyright Order, 1958, namely:—

1. (i) This Order may be called the International Copyright (Fourth Amendment) Order, 1969.

   (ii) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. In Part II of the Schedule to the International Copyright Order, 1958, after the entry "Switzerland", the entry "Tunisia" shall be inserted.

[No. F.3-2/69-C.O.]

G. K. CHANDIRAMANI, Addl. Secy.

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय

आदेश (कापीराइट)

नई दिल्ली, 21 जून 1969

एस० ओ० 2446.—कापीराइट अधिनियम 1957 (1957 का 14) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट आदेश 1958 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित और आदेश देती है,

अर्थात् :

1—(i) इस आदेश को अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट (चतुर्थ संशोधन) आदेश, 1969 कहा जाए ।

(ii) यह आदेश इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा ।

2—अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट आदेश, 1958 की अनुसूची के भाग II में, "स्विटजरलैण्ड" के बाद "ट्यूनिसिया" का नाम लिख दिया जाए ।

[सं० एफ० 3—2/69 सी० ओ०]

सी० के० चन्द्रीरामाणी, अतिरिक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969